तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
31.3.17	वकील वादी अपने वकील वादी के एफीडेविट के साथ दस्तावेज पेश किये एवं साक्षियों सूची के साथ दस्तावेज पेश किये एवं साक्षियों के शपथ, प्रतीक्षा, व सबूत किस्म शपथ पत्र पेश किया और साक्षियों पत्रावली किये जाने एवं बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी जाती। मामले इतिहास दिनांक 13.11.2017 को पेश हो।
13.11.17	वकील वादी उपस्थित होकर बहस वकील वादी ने बताया कि वाद दरखास्त एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। पक्षकारान के मध्य दिनांक 25-9-77 को एक इकरारनामा जमीन बाबत हुई थी जिसकी स्टाम्प पेपर पर लिखकर दि गई थी जिस पर दोनों ने पार्टियों के हस्ताक्षर किये थे जिसकी प्रति पेश की है। उसी अनुसार खातेदारी दर्ज कराने बाबत वाद पेश किया था। उसी अनुसार पक्षकार मौके पर काबिज है। प्रतिवादीगण ने राजीनामा भी पेश किया है। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री फरमाया जावें।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत करीब प्रति इकरारनामा लिखकर दिनांक 25-9-77 का अवलोकन किया गया जो दो रुपये स्टाम्प पेपर पर लिखी हुई है जिसमें वादपत्र में अंकित तथ्यों का वर्णन है। वादी व प्रतिवादी ने 21 लागत 216 व 31 लागत 315 में न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है। प्रतिवादी ने वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया है। शेष प्रतिवादीगण बावजूद वाजिब अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही क्रमशः में लाई गयी। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत निकाह नामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात न्यायहित में मुताबिक राजीनामा दावा वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद बरूये राजीनामा अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। राजीनामा दिनांक 14-11-2017 डिक्री का भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर

(जगदीश प्रसाद गौड़)
(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना